10-10-22 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादीगण उपस्थित। पूर्व आदेश की पालना के आभाव में दिनांक 1-12-22 को पेश हो।

1-12-22 पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप. श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आइन्दा दिनांक 26-12-22 को पेश हो।

26/12/22 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 एवं धारा-151 CPC पेश कर निवेदन किया कि प्रश्नगत वाद में औपचारिक दोष कि प्रतिवादी सं.-02 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अधिकतम कृषि भूमि जिसे वह प्रतिवादी सं.-01 एवं 03 के साथ मिलकर [illegible] कृषि भूमि को किला विभाजन का [illegible] की किस्म में था [illegible] पारिवारिक [illegible] दिनांक 21.09.21 के संबंध में अभिवचनों में नहीं किया

मधुसूदन पारीक

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.01.03 12:23:09 IST
Reason: SelfAttested

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/दिनांक
	गया। वाद के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए पारिवारिक समझौता दिनांक 22.09.2014 के अनुसार वादी के अधिकारों की घोषणा किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। उक्त वाद में औपचारिक दोष होने के कारण वादी अपने अधिकारों एवं हितों की रक्षा एवं पूर्ण न्याय निर्णय हेतु नया वाद पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान कर उक्त वाद वापिस लेना चाहता है पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र पर सहानुभूति पूर्वक मनन किया गया। वादी के प्रा० पत्र के आधार पुनः वाद पत्र पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होवे तरतीब वकील होकर नम्बर से कम हो। प्रियंका तलानिया उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ Signature Not Verified Digitally signed by Priyanka Talania Date: 2023.01.03 12:23:09 IST Reason: SelfAttested	